



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183]
No. 183]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 1983/वैशाख 26, 1905
NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 1983/VAISAKHA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 1983

अधिसूचना

सं० 145/83-सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 424 (प्र).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 36-सीमा-शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 1963 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:—

(क) मद (1) के सामने —

(i) स्तंभ (1) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“बम्बई निगम की अधिकारिता के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र और मुम्बई पत्तन किन्तु इसके अन्तर्गत मुम्बई विमान पत्तन (अर्थात् साताक्रुज विमान पत्तन, और सहार विमान पत्तन को छोड़कर) है ;

(ii) स्तंभ (3) में निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“सीमा-शुल्क उप कलक्टर, मुम्बई” ;

(ख) मद (ii) और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“(ii) बम्बई विमान पत्तन (अर्थात् सांताक्रुज विमान पत्तन और सहार विमान पत्तन)	सीमा-शुल्क कलक्टर, मुम्बई विमान पत्तन (अर्थात् सांताक्रुज विमान पत्तन और सहार विमान पत्तन) और अपर सीमा-शुल्क कलक्टर मुम्बई विमान पत्तन (अर्थात् सांताक्रुज विमान पत्तन और सहार विमान पत्तन)	सीमा-शुल्क उपकलक्टर मुम्बई विमान पत्तन (अर्थात् सांताक्रुज विमान पत्तन और सहार विमान पत्तन)	सहायक सीमा शुल्क कलक्टर मुम्बई विमान पत्तन (अर्थात् सांताक्रुज विमान पत्तन और सहार विमान पत्तन)”

(ग) मद (iii) के सामने:—

(i) स्तंभ (1) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी अर्थात्:—

“कलकत्ता पत्तन; मिदनापुर जिला में हल्दिया और दमदम विमान पत्तन के डॉक और जेटी” ;

(ii) स्तंभ 3 में निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“सीमा-शुल्क उप कलक्टर, कलकत्ता” ,

(घ) मद (5) के सामने स्तंभ (3) में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“सीमा शुल्क उप कलक्टर, मद्रास” ।

[फा० सं० 437/4/83/सीमा शुल्क 4]

जैड०बी० नगरकर, अधीक्षक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th May, 1983

NOTIFICATION

(No. 145/83—Customs)

G.S.R. 424(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 36-Customs, dated the 1st February, 1963, namely:—

(a) against item (1),—

(i) for the entry in column (1), the following entry shall be substituted, namely:—

“The whole of the area under the jurisdiction of Bombay Corporation and the Port of Bombay but excluding the Bombay Airport (that is to say, the Santacruz Airport and the Sahar Airport)” ;

(ii) in column (3), the following entry shall be inserted, namely:—

“Deputy Collectors of Customs, Bombay” ;

(b) for item (ii) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“(ii) Bombay Airport (that is to say, the Santacruz Airport and the Sahar Airport)	Collector of Customs, Bombay Airport (that is to say, the Santacruz Airport and the Sahar Airport) and Additional Collector of Customs, Bombay Airport (that is to say, the Santacruz Airport and the Sahar Airport)	Deputy Collector of Customs, Bombay Airport (that is to say, the Santacruz Airport and the Sahar Airport)	Assistant Collectors of Customs, Bombay Airport (that is to say, the Santacruz Airport and the Sahar Airport)”;

(d) against item (iii),—

(i) for the entry in column (1), the following entry shall be substituted, namely:—

“Docks and jetties of the Port of Calcutta; Haldia in Medinipur district and Dum Dum Airport”;

(ii) in column (3), the following entry shall be inserted, namely:—

“Deputy Collectors of Customs, Calcutta”;

(e) against item (v) in column (3), the following entry shall be inserted, namely:—

“Deputy Collectors of Customs, Madras”;

[F. No. 437/4/83—Cus. IV]

Z. B. NAGARKAR, Under Secy.

